

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश जखनक।

संख्या:- प्राथमि/परिषद समझौता/2020/1971

तारखत दिनांक: 16-9-2020

:--नगरपालन झाप--

परिषद भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी कार्यालय जीक हाथिया, नई दिल्ली द्वारा संशुद्ध सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा कारीब राजकीय शिक्षा समझौते जी अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 जखनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 जखनक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई राज्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता प्राप्तियों को सम्बद्धता विस्तार/प्राथमिक/प्रवेश समता पूर्ति संबंधित अन्य बड़ी पर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुसार में सम्बद्धता समिति की बैठक को सत्र-3 में डिप्लोमा इन कार्मसी प्राथमिक शिक्षा संघातित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध राज्याओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-


"निम्नी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मसी प्राथमिक शिक्षा संघातित करने वाली संख्याएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 जखनक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरी/आईई द्वारा उन्हें बंधावर अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन राज्याओं में पीठरी/आईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उक्त नाम के समुच्च अधिकार प्राथमिक/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरी/आईई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय किया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 जखनक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	राज्या सं.	संस्था का नाम	सम्बद्धता का स्तर	पीठरी/आईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीठरी/आईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	1021	बसा इंस्टीट्यूट जीक टोलावाली, (असुर जीक धारी), गलापुर, मध्या.	डिप्लोमा इन कार्मसी	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ राज्या राजकीय/राजकीय/पीठरी/आईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च-प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद सत्र 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभागाध्यक्षी 1992, जेम्सकर विनियमकों से 2010 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा सुच्च निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित सुच्च सैन वारिदा इत्यादि प्राथमिक हेतु सत्र 2019-20/- प्रतिवर्ष, जो नवीन कार्मसी प्राथमिक हेतु सत्र 20-21/2020/-प्रतिवर्ष एवं उक्त सत्र दो वारिदा प्राथमिक (दो वारिदा कार्मसी प्राथमिक के अधीन) हेतु सत्र-22/2020-21 प्रतिवर्ष सुच्च की प्रवेश प्रार/प्रार से प्रार किया जाएगा। उपरोक्त के अधीन प्रार/प्रारों से सुच्च के सम्बद्ध में समता-समता पर प्रारण द्वारा निर्णय किये जाने वाले शर्तानुसार प्रारणी योग्य, और तदनुसार कार्मसी शिक्षा



जाना आवश्यक होगा। पीन निर्माण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीन का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो पीन की नवीकरण करें जाएगी।

- ✓ संस्था को (उच्च प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किए जाने) विनियमनवली-2003 को जारी का अनुमोदन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उद्घोषित प्राप्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। टीपी के रिजल्ट यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की परीक्षाओं को करेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट तालिकादेश को अनुसार निर्देशित एवं सम्बद्धता सुलभ बना करना होगा।
- ✓ संस्था को एग्रीगेशन/सीआईई/पीसीआईई से संबंधी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा प्रदान द्वारा बनाये गये विधि/विधियाँ/उपविधियाँ/आयोजनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, उच्चतर प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च एवं उच्चतर गवर्नमेंट, विनियम, आदेशों, निर्देशों का मानन करने से लिखे बंध्य होगी।
- ✓ विधेया इन फार्मेट्री पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में सफल होती है तो इस समझ में संस्था उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप से विधी की परीक्षाओं के लिए संस्था का उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर कर के संबंध में ना स्वावलंब्य द्वारा विधी प्रसार की प्रतिबुद्धि संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो संस्था प्रतिबुद्धि संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधेया इन फार्मेट्री पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश परीक्षा को लिए आवेष्टित प्रवेश परीक्षा हेतु कर्तव्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व पीसीआईई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद निर्देशित गये उपकरण करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (प्रवेशनिर्देशों के माध्यम से अथवा संस्था द्वारा पर पीछे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ प्रवेश परीक्षा संस्कार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत संचालन आदेश-विभाग का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को सम्बद्ध सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिबुद्धि, स्वयं, स्वयं-उच्चतर, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, आवाधान सुलभ आदि का विस्तृत उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उच्चतर महाविद्यालय बनाने की साथ रीति देखने से संस्था में सम्बद्ध आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपकरण करने गये अधिदेश, नृमि-मार्ग, कर्तव्य, नपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है तो परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपकरण पर प्रयोग निर्देशी अथवा मार्ग से लिए गए गती है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सम्बद्ध लिखे जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता जारी का अनुमोदन न लिखे जाने अथवा जारी का उत्तराखण्ड विधी जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसम्बद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(श्री आरके सिंह)
सचिव

पूजा- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/1972-2141

तारीख: 15-08-2020

पत्तिका-प्रधानाचार्य/निदेशक, महा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नासोनी, (संयुक्त ऑफ सॉलरी) मरनापुर, मेरठ।

(श्री आरके सिंह)
सचिव



विश्व जल है तथा इसके बाद के वर्षों में सा. विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूति वाली आदेश निर्गत किया जाता है जो सम्पूर्ण प्रतिभूति संबंधित संस्था को जानने होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संभालित करना वाले संस्थाओं को संयुक्त पाठ्य परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित पत्रों परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकिंग करना होने के पूर्व सीपीआईएड में अनुमोदन करना एवं परिषद समन्वय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उनके पत्रों की क्वॉलिफिकिंग का साध्यन से अपना संस्था स्तर पर लेना प्रथम अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ स्तर परीक्षा सामग्री द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत सर्वोच्च आदेशों को अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की स्थापना स्थापना जैसे संस्था की ऐतिहासिक चूर्ति भूमि, भवन, सड़क, इत्यादि उपकरणों का विवरण ज्ञान शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-परिषद हेतु आवेदन सातवाथा उपलब्ध कराने के साथ ही संस्था के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सम्बन्धित सम्बन्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु विशेषज्ञ समिति के सम्पूर्ण उपलब्ध कार्यो एवं अभिलेख, भूमि-अक्षा, वर्गीकरण, आकाश-चित्रों का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था के संवादन से प्राप्त किया जाय है तो परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का पत्रों किसे अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धता सम्बन्धित करने की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यावरण, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्तियों (सीपीआईएड) परिषद के सातवाथा उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बन्धता सम्बन्धित कर ही जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित स्तरों का अनुमोदन न मिलने अथवा स्तरों का उपलब्ध करने वाले की विधि से विद्यमानुसार अनुमोदनपत्रों का प्रेषण की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पृष्ठ सं. शिक्षणपरिषद सम्बन्धित 2021/3535-4008

दिनांक: 08/08/2021

पत्तिका-

संस्थानाचार्य/सिस्टिक, BHARAT INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SCHOOL OF PHARMACY)



(Handwritten signature)

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव